

10/19
16/19

जयपुर प तारख
अपकाम जो हस
दूरतया की तारीख
में जारी हुड

न्यायालय राजस्थान अधीन अधिकारी रोक कर निर्णय दि०
12/4/2018 से न्यायालय द्वारा के निर्णय व डि० दिनांक
30/1/2017 को अर्थात् किंग जा चुका है अतः वाद
अस्त अंतर्गत की निर्णय व डि० दि० 30/1/2017
से पूर्व की स्थिति बहाल छिज जाने के आदेश दिनांक
30/1/2017 से पूर्व की स्थिति बहाल कर प्राथमिक डि०
आदेश दिनांक 25/7/19 में जारी निर्देशावला विभाजन प्रस्ताव तैयार कर
मिजवावे/ तहसीलवार को तहसील जारी होकर पत्रावली
दिनांक 10/10/19 को प्रेष हो

10/19
10/19
अभिभाषक न्यायालय सपरिषद में। पी.ओ. राहव
अ/16C - पत्रावली पत्र
अभिभाषक दिनांक 30/10/19 को प्रेष हो।

16/19

अभि वादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रेष करने पर पत्रावली
बराबर होकर आज प्रेष हुई अपपक्ष उपा अधी
अभि अपपक्ष उपर ही राजीनामा प्रेष किया। तद्विक
किया जाता है। शामिल मिसल रहे निवेदन किया
कि राजीनामा अनुसार दावा डि० फलाना किया जाने
पत्रावली का अवलोकन किया। दावा वादी गण पूर्व
में रिपोर्ट PD अने पर दिनांक 30/1/2017 को
डि० किया गया था। जिसकी की अपील कदी कर
अपील कोर्ट न्यायालय RA-9 रोक के परा प्रेष
करने पर माननीय न्यायालय कर न्यायालय हाजा
के निर्णय व डि० दि० 30/1/2017 को अर्थात्
किया जाकर इस निर्देश के साथ दिमाड की गरी वि
निवादि त शरी के संबंध में तैयार की गरी विभाजन
रिपोर्ट पर सभी पक्षकारों को अपना पक्ष रखने
व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधि समुक्त
निर्णय पारित करें। अपपक्ष में आज प्रस्तुत राजीनामा
में कथन किया कि दि० 30/1/2017 को पूर्व में दावा
डि० किया गया था उक्त डि० को बहाल किया जाने
अतः डि० के अनुसार ही वादी गण व प्रतिवादी गण
अपनी-अपनी अंतर्गत पर काबिज व अब भविष्य
में वादी गण के बीच कोई विवाद शेष नहीं रहने
अतः दि० 30/1/2017 की डि० को बहाल किया जाकर
दावा डि० फलाना जाने पत्रावली रिमांड होकर लौटने
पर अपपक्ष के निवेदन पर दि० 25/7/19 को दावा अधिसूच
डि० किया जाकर विभाजन प्रस्ताव संकायी

रिजम
महावीर
रामपाल
विजयलक्ष्मी

राजनीलाल

12

